

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 2016/आषाढ़ 2, 1938

No. 431]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2016/ASHADHA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2016

सा.का.नि. 619(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का 54) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014 में,—

(i) नियम 2 में, उपनियम (1) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(छक) सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर विशेषज्ञ समिति” पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सड़क सुरक्षा संकर्म के लिए प्रस्तावों की सिफारिशों द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है ;

(छख) “सड़क सुरक्षा संकर्म” से अभिप्रेत है, जो सड़क दुर्घटना या घातक डेटा पर आधारित अंधकार स्थल पर सड़क दुर्घटना में पहचान की सुधार के लिए राज्य सड़कें (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) संकर्म है या इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञता निकायों या विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों पर आधारित संकर्म है।”

(ii) नियम 3, नियम 4 और नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“3. निधि का आबंटन – कार्यपालक अभिकरणों को निधि का आबंटन तीस प्रतिशत वरीयता ईंधन खपत और सत्तर प्रतिशत वरीयता संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा और निधि का दस प्रतिशत आबंटित निधि में से सड़क सुरक्षा संकर्म के लिए सुनिश्चित किया जाएगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करते हुए स्कीम के अधीन अन्य संकर्म के लिए निधि (सड़क सुरक्षा संकर्म के लिए सुनिश्चित) निधि का भाग सुनिश्चित कर सकेगी और पूर्व संनिर्माण संकर्म, निकटवर्ती संकर्म सम्मिलित करके, सुरक्षा क्रियाकलाप सड़क के प्रकारों में विस्तृत पहचान तथा उनकी तकनीकी विनिर्देश पूर्ण अवधि, रिपोर्ट तैयारी परियोजना के ब्यौरे आदि जैसे विभिन्न पहलुओं अच्छादित करने वाले केंद्रीय सरकार द्वारा विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाएंगे।”

4. परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों की बाबत निधि का उपयोग – अधिनियम की धारा 7 के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, निधि का उपयोग राज्य सड़कों के संनिर्माण और विकास से संबंधित परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों के लिए होगा जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं, किंतु जिनके अंतर्गत ग्रामीण सड़कें नहीं हैं और जिनकी पहचान नियम 5 के अनुसार की जानी है।

5. राज्य सड़कों, जिनके अंतर्गत आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक संयोजकता वाली सड़कें भी हैं, के अधीन स्कीमों की पहचान और पूर्विकता –

(1) केंद्रीय सरकार, निधियों के उन्मोचन के लिए कार्यपालक अभिकरणों के परामर्श से परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों की पहचान और पूर्विकता तय करेगी और कार्यपालक अभिकरण मानदंड का पालन करेंगे और स्कीमों की पहचान और पूर्विकता को सुकर बनाने के लिए इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों के आवश्यक ब्यौरे केंद्रीय सरकार को देंगे।

(2) यदि इस प्रकार पहचान की गई सभी परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों को निधि में संसाधनों की कमी के कारण मंजूर नहीं किया जा सके तो केंद्रीय सरकार राज्य सड़कों, जिसके अंतर्गत आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक संयोजकता वाली सड़कें भी हैं, पर परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों की पूर्विकता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार तय करेगी, अर्थात् :--

(क) पूर्विकता केवल कोर नेटवर्क से संबंधित परियोजनाओं को दी जाएगी और कोर नेटवर्क के भीतर पूर्विकता निम्नलिखित क्रम में नियत की जाएगी--

- (i) ऐसी संभाव्य सड़कें, जिन्हें नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण समझा गया है ;
- (ii) राज्य राजमार्ग ;
- (iii) मुख्य जिला सड़कें ; और
- (iv) अन्य जिला सड़कें :

परंतु किसी चयनित खंड पर स्कीम की पहचान करते समय पूर्विकता निम्नलिखित क्रम में दी जाएगी—

- (i) सड़क सुरक्षा संकर्म ;
- (ii) रेल उपरिगामी पुल (आरओबी) और रेल अधोसेतु (आरयूबी)
- (iii) पुलों का संनिर्माण ;
- (iv) राज्य सीमा पर सड़क सुरक्षा और पुल परियोजनाओं का संनिर्माण।

(ख) महत्वपूर्ण बाजार केंद्र, आर्थिक जोन, औद्योगिक जोन, कृषि क्षेत्र, पर्यटक केंद्र, धार्मिक केंद्र, विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना जैसे शमशान घाट, स्नान घाट, वृद्धाश्रम, अनाथालय और समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को फायदा पहुंचाने वाले सार्वजनिक उपयोगिताओं के स्थानों को या तो प्रत्यक्षतः जोड़ने वाले या उनकी ओर जाने वाले राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कें, नौघाट सड़कें और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें और इसी प्रकार की अन्य सड़कें, जहां पर महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, को महत्वपूर्ण परियोजनाएं मानी जाएंगी ;

(ग) दो पूर्वस्थ राज्यों के बीच सीधे संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों पर सीमा पर अंतरराज्यिक सड़कों या पुलों को अंतरराज्यिक संयोजकता वाली परियोजना के रूप में समझा जाएगा ।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सड़क सुरक्षा संकर्म और पुनर्विलोकित तथा इस नियम के उपनियम (2) के खंड (क) नियम 5 के कथानुसार सड़क प्रवर्गों की पूर्विक्ता के क्रम में सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई ।”।

[फा. सं. एनएच-11065/2/2016-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा सा.का.नि. 531(अ) तारीख 24 जुलाई, 2014 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2016

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Road Fund (State Roads) Rules, 2014, namely:-

1. Short title, and commencement.- (1) These rules may be called the Central Road Fund (State Roads) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Road Fund (State Roads) Rules, 2014,-

(i) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(ga) “National Level Expert Committee for Road Safety” means the Committee constituted by the Central Government for the purpose of review and recommendations of the proposals for Road Safety Works submitted by the State Governments;

(gb) “road safety works” means the works on State roads (other than Rural Roads) for rectification of identified road accident black spots based on road accident or fatality data or the works based on the recommendations of specialised bodies or expert committees set up for this purpose”;

(ii) for rule 3, rule 4 and rule 5, the following rules shall be substituted, namely:-

“3. Allocation of Fund.- The allocation of fund to the executive agencies shall be made on the basis of thirty per cent. weightage to fuel consumption and seventy per cent. weightage to the geographical area of the concerned States or Union territories and out of the fund allocated, ten per cent. of the fund shall be earmarked for road safety works:

Provided that the Central Government may earmark part of the fund (earmarked for road safety works) for other works under the scheme depending upon progress of projects and detailed guidelines shall be issued by the Central Government covering various aspects such as pre-construction works, clubbing of adjacent works, detailed identification of types of road safety activity and their technical specifications, completion period, Detailed Project Report preparation etc.

4. Utilisation of Fund in respect of projects, schemes and activities.- Subject to the provisions specified under section 7 of the Act, the Fund shall be utilised for projects, schemes or activities relating to the construction and development of State Roads including road safety works, roads of inter- State connectivity and of economic importance, but excluding the Rural Roads and to be identified in accordance with the rule 5.

5. Identification and prioritisation of schemes under State roads including road safety works, roads of economic importance and inter-State connectivity.-

(1) The Central Government shall identify and prioritise the projects, schemes or activities for release of Funds in consultation with the executing agencies and the executing agencies shall observe the criteria and furnish necessary details of the projects, schemes or activities as specified under these rules, to the Central Government to facilitate identification and prioritisation of the schemes.

(2) If, all the projects, schemes or activities so identified cannot be sanctioned due to shortage of resources in the Fund, the Central Government shall prioritise the projects, schemes or activities on State Roads including roads of economic importance and inter-State connectivity as per the following procedure, namely:-

(a) the priority shall be given to take up projects from the Core Network only and within the Core Network, priority shall be assigned in the following order-

- (i) the potential roads which are considered as important from the perspective of declaration as new national highways;
- (ii) the State Highways;
- (iii) the Major District Roads; and
- (iv) the other District Roads;

Provided that while identifying the schemes on a selected stretch, priority shall further be given in the following order-

- (i) to the road safety works;
- (ii) to the construction of Railway Over Bridges (ROBs) and Railway Under Bridges (RUBs);
- (iii) to the construction of bridges;
- (iv) to the construction of road safety and bridge projects on State Border;

(b) the State Highways and major district roads either directly connecting to or leading to an important market centre, economic zone, industrial zone, agricultural region, tourist centre, religious centre, schools and educational institutions, socially important structure, such as cremation grounds, bathing ghats, old-age homes, orphanages and public utilities, benefiting vulnerable sections of the society, such as, the Scheduled castes, the Scheduled tribes, ferry-ghat roads and roads connecting ecologically sensitive areas and the like where significant economic activity is being undertaken shall be considered as the projects of economic importance;

(c) the inter-State roads or bridges at the border on State Highway and major district roads necessary for ensuring through communication between two adjacent States shall be considered as the project of inter-State connectivity;

(d) the road safety works submitted by the State Governments and reviewed and recommended by National Level Expert Committee for Road Safety in order of priority of road categories as stated in rule 5, clause (a) of sub-rule (2) of this rule.”

[F. No. NH-11065/2/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 531(E) dated the 24th July, 2014.